

आदेश, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०-..... ०७ / २०१९

धारा-107 द०प्र०सं०

द्वितीय पक्ष उभय पक्ष बनाम द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम सं० एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई
एवं टिप्पणी तारीख सहित


14-02-19


अभिलेख सं०-एम..... ०७ / २०१९, में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी सोनादास के अप्राथमिकी सं०- ०१/१९ दिनांक- २६.०१.१९ के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीन विवाद को लेकर उभय पक्ष के तनाव



जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि २५/०५/१९ को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
18-10-19	<p>आगिलेरा उपस्थापित 1 प्रथम पत्र क्रमांक 01 उपस्थापित अन्य अनुपस्थापित 1 दिनांक पत्र क्रमांक 01, 02, 03 उपस्थापित अन्य अधिवक्ता हाजरी 1 उक्त वाद के 6(6) माह की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद के आगिलेरा की कारवाही बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी बुलंदशहर </p> <p style="text-align: right;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी बुलंदशहर </p>